राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक प.9(2)पद सृजन/गृह–10/2019 जयपुर, दिनांकः 11.08.2021

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, गृह–2 विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.27(क)(2) गृह–2/2019 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 6/7 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पुलिस जिला अलवर के संबध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं का उपान्तरण करते हुए एतद् द्वारा पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाडी के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुये पुलिस जिला अलवर व पुलिस जिला भिवाडी की अधिकारिता के पुलिस थानों का समाविष्ठ किया गया है।

संयुक्त शासन सचिव, गृह–2 विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.27(क)(2) गृह–2/2019 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाडी के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुये पुलिस जिला अलवर व पुलिस जिला भिवाडी की अधिकारिता के पुलिस थानों का समाविष्ठ करते हुये संबंधित न्यायालयों के कार्यालयों में अभियोजन अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारी, बानसूर मय स्वीकृत पदों को पुनः सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर के अधीन किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

क.सं.	कार्यालय का नाम	अभियोजन अधिकारी / सहायक अभियोजन अधिकारी के स्वीकृत पद	मंत्रालयिक कर्मचारी के स्वीकृत पद	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत पद
1.	अभियोजन अधिकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट, बानसूर	अभियोजन अधिकारी–01	वरिष्ठ सहायक–01	01
2.	सहायक अभियोजन अधिकारी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट, बानसूर	सहायक अभियोजन अधिकारी–01	कनिष्ठ सहायक–01	01

आज्ञा से,

11/8

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिवगृह विभाग।
2. संयुंक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–2) विभाग।
3. जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राज, जयपुर।
6. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
7. महानिरीक्षक पुलिस जयपुर, रेंज जयपुर।
8. पुलिस अधीक्षक, अलवर/भिवाड़ी।
9. उप निदेशक अभियोजन द्वितीय जयपुर।
10. सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर/भिवाड़ी।
11. रक्षित पत्रावली।

11/8

शासन सचिव, गृह (विधि)